



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श0)
(सं0 पटना 1129) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 23/2019 - राज्य कर (दर)

एस० ओ० 369 दिनांक 30 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2018-राज्य-कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या-71, दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण.-

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1.4.2019 को या उसके बाद की गई हो” ।

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)23)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव ।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 369, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)23)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2019

Notification No. 23/2019- State Tax (Rate)

S.O. 369, Dated 30th September 2019—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 4/2018-State Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 71, dated the 25th January, 2018, namely:-

After paragraph 1, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation-

Nothing contained in this notification shall apply where development rights are supplied on or after 01.04.2019.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7) 23)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1129-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>